

Government of India
Ministry of Information & Broadcasting
(Press Section)

Subject: Amendment of Recruitment Rules (RRs) in r/o post of Clerk Grade-II, Group 'C' in Regional/Branch Offices of PIB –reg.

Reference is invited to PIB's I.D. Note No. B-11017/01/2023-Admn.III dated 01.05.2023 and further subsequent communications on the subject cited above.

2. In this regard, a bilingual copy of the Recruitment Rules notified in the Gazette of India on 19.04.2025 is enclosed for information and necessary action. The notified copy of RRs may be uploaded on the official website of PIB.


Encl.: As above.


27/05/25
(Sourav Das)

Under Secretary to the Government of India
☎: 011-23385586

✓
Pr. DG (M&C), PIB, Shastri Bhawan, New Delhi
Ministry of I&B's I. D. No. M-20011/2/2023-Press (CFN: 178107) dated 27.05.2025

Copy to: SO (Admin.-III), PIB Hqrs., Shastri Bhawan, New Delhi-110001, for information & necessary action.


27/5/25

ADG (Admin.)


Ran
27/5/25

Ran
27/5/25

SO (Ad III)

Office
838
27/5/25

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्र सूचना कार्यालय (समूह 'ग' पद - उत्तरी क्षेत्र) भर्ती नियम, 1989, पत्र सूचना कार्यालय, (समूह 'ग' पद - पश्चिमी क्षेत्र) भर्ती नियम, 1989, पत्र सूचना कार्यालय, (समूह 'ग' पद - दक्षिणी क्षेत्र) भर्ती नियम, 1989 तथा पत्र सूचना कार्यालय, (समूह 'ग' पद - पूर्वी क्षेत्र) भर्ती नियम, 1989, जहां तक कि उनका संबंध लिपिक ग्रेड-II, लिपिक ग्रेड-II (टेलीप्रिंटर ऑपरेटर) तथा लिपिक ग्रेड-II (भाषा) के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में लिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्र सूचना कार्यालय (क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय), लिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - कोई भी व्यक्ति, -**

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात पर समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा तथा उसके लिए जो कारण होंगे, अभिलिखित प्रवर्ग करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लिपिक ग्रेड-II	84* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हो रिक्तियों का क्षेत्रवार ब्यौरा: उत्तर क्षेत्र -19 पूर्वी क्षेत्र - 15 पश्चिम क्षेत्र -20 दक्षिण क्षेत्र -18 उत्तर पूर्व क्षेत्र -12	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रू. 19900-63200)	गैर चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट होगी। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 10% रिक्तियां विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी; और (iii) 5% रिक्तियां वरिष्ठता-सह-अर्हता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।	पदोन्नति: (i) विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1(रू. 18000-56900) में समूह 'ग' के कर्मचारियों में से, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास या समकक्ष अर्हता है और उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा है। टिप्पण 1: परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष है। (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पचास वर्ष) टिप्पण 2: यदि खंड के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर आगामी वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, जिससे पहले की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए। (ii) वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में समूह 'ग' के उन कर्मचारियों से, जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष हों। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मिकों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठ कर्मिकों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो इनमें से जो भी कम हो, कम न किया हो और उन्होंने

		अपने उन कनिष्ठ कार्मिकों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?		वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
<p>पत्र सूचना कार्यालय के प्रत्येक जोन में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>(क) संबंधित क्षेत्र के निदेशक/उप निदेशक-अध्यक्ष;</p> <p>(ख) संबंधित जोन के सहायक निदेशक या मीडिया एवं संचार अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य;</p> <p>(ग) उस क्षेत्र में उपलब्ध सूचना एवं प्रसारण की किसी अन्य मीडिया इकाई से उप निदेशक या सहायक निदेशक स्तर का एक अधिकारी - सदस्य; तथा</p> <p>(घ) उप निदेशक स्तर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी - सदस्य। (यदि विभागीय प्रोन्नति समिति में इन समुदायों से संबंधित अध्यक्ष या सदस्य उपलब्ध नहीं हैं)।</p> <p>पत्र सूचना कार्यालय के प्रत्येक जोन में समूह 'ग' विभागीय पुष्टि कक्षा समिति (पुष्टि कक्षा पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>(क) संबंधित क्षेत्र के निदेशक या उप निदेशक-अध्यक्ष;</p> <p>(ख) संबंधित जोन के सहायक निदेशक या मीडिया एवं संचार अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य;</p> <p>(ग) उस क्षेत्र में उपलब्ध सूचना एवं प्रसारण की किसी अन्य मीडिया इकाई से उप निदेशक/सहायक निदेशक स्तर का एक अधिकारी - सदस्य; तथा</p> <p>(घ) उप निदेशक स्तर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी - सदस्य। (यदि विभागीय पुष्टि समिति में इन समुदायों से संबंधित अध्यक्ष या सदस्य उपलब्ध नहीं हैं)।</p>		लागू नहीं होता

[फा. सं. एम.20011/2/2023-प्रेस]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th April, 2025

G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Press Information Bureau (Group 'C' posts - Northern Region) Recruitment Rules, 1989, Press Information Bureau (Group 'C' posts - Western Region) Recruitment Rules, 1989, Press Information Bureau (Group 'C' posts - Southern Region) Recruitment Rules, 1989 and Press Information Bureau (Group 'C' posts - Eastern Region) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Clerk Grade-II, Clerk Grade II (Teleprinter Operator) and Clerk Grade II (Language), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Clerk Grade-II (Group 'C' post) in the Regional and Branch Offices of Press Information Bureau under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Press Information Bureau (Regional and Branch Offices), Clerk Grade-II (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level

in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Methods of recruitment, age-limit and qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.-No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affects reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Clerk Grade-II	84* (2025) * Subject to variation dependent on workload. Zone-wise breakup of vacancies: North Zone - 19 East Zone - 15 West Zone - 20 South Zone - 18 North East Zone - 12	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for the Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 th Class passor equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.	Not applicable.

Period	of	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion or by deputation/
--------	----	-----------------------	---

probation, if any.	whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10% of the vacancies shall be filled on the basis of departmental qualifying examination; and (iii) 5% of the vacancies shall be filled by promotion on seniority-cum-fitness basis.	Promotion: (i) On the basis of departmental qualifying examination, from amongst the Group C employees in level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and who possess 12 th Class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University with three years' regular service in the grade. Note 1: The maximum age limit for eligibility for examination is forty-five years. (Fifty years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes). Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualified the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at the later examination. (ii) On the basis of seniority-cum-fitness, from Group C employees in level 1 in the pay matrix with three years' regular service in the grade and are 12 th Class pass or equivalent from a recognised Board or University. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) in each Zone of Press Information Bureau consisting of: (a) Director or Deputy Director of the concerned Zone- Chairperson; (b) Assistant Director or Media and Communication Officer/ Administrative Officer of the concerned Zone – Member; (c) One officer of Deputy Director or Assistant Director level from any other media unit of Information and Broadcasting available in that Zone- Member; and (d) An officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe at Deputy Director Level – Member. (if Chairperson or members belonging to these communities are not available in Departmental Promotion Committee).	Not applicable.
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering	

confirmation) in each Zone of Press Information Bureau consisting of: (a) Director or Deputy Director of the concerned Zone- Chairperson; (b) Assistant Director or Media and Communication Officer/ Administrative Officer of the concerned Zone – Member; (c) One officer of Deputy Director/ Assistant Director level from any other media unit of Information and Broadcasting available in that Zone- Member; and (d) An officer belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe at Deputy Director Level – Member. (if Chairperson or members belonging to these communities are not available in Departmental Confirmation Committee).	
--	--

[F. No. M-20011/2/2023-Press]

C. SENTHIL RAJAN, Jt. Secy.